न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर (म.प्र.)

निग – 2937 – II/16

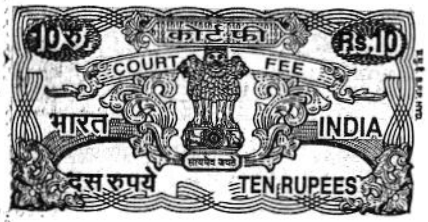

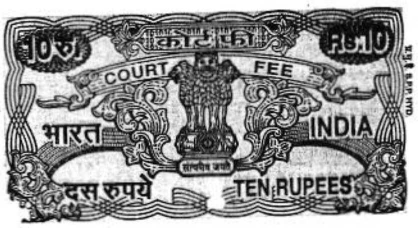

महेन्द्र सिंह परिहार तनय स्व0 श्री युवराज सिंह परिहार, उम्र– 77 वर्ष, पेशा– खेती, निवासी ग्राम– अमहवा, तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)

——————— पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

शिरोमणि सिंह परिहार तनय स्व0 श्री गजराज सिंह परिहार उम्र– 87 वर्ष, पेशा– खेती, निवासी ग्राम– बटौली, तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)

——————— अनावेदक

श्री [illegible] द्वारा आज दि. 01.9.16 को प्रस्तुत

रीडर ऑफ कोर्ट 1.9.16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

01.09.16

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.) के अपील प्रकरण क्रमांक– 116/अपील/2014–15 आदेश दिनांक– 02.07.2015 अपील प्रस्तुती दिनांक को ही अधीनस्थ न्यायालय ने धारा– 5 परिसीमा अधिनियम के आवेदन का निराकरण अंतिम आदेश में होगा का आदेश अपील मेंमो पर किया है से व्यथित पुनरीक्षण।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य

(अ) यह कि पुनरीक्षणकर्ता व अनावेदक आपस में सगे चचेरे भाई हैं।

(56)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R/2937/II/16, सीधी, महेन्द्र / शिरोमणि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
8/1/19	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के प्रकरण क्रमांक 116/अपील/14-15 में पारित आदेश दिनांक 02/07/15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 23/4/19 को कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	